भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के द्वारा तहसील उदयपुर, प्रेमनगर, जिला–सरगुजा एवं सूरजपुर में प्रस्तावित ओपन कास्ट केप्टिव कोल माईन क्षमता–05 एमटीपीए, माईनिंग लीज एरिया–1252.447 हेक्टेयर में से सूरजपुर जिले के प्रेमनगर तहसील अंतर्गत 317.869 हेक्टेयर क्षेत्र के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् दिनांक 28/02/2014 को स्थान– प्राथमिक षाला ग्राम–जनार्दनपुर, पंचायत षिवनगर, तह. –प्रेमनगर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का. आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के द्वारा तहसील उदयपुर, प्रेमनगर, जिला–सरगुजा एवं सूरजपुर में प्रस्तावित ओपन कास्ट केप्टिव कोल माईन क्षमता–05 एमटीपीए, माईनिंग लीज एरिया–1252.447 हेक्टेयर में से सूरजपुर जिले के प्रेमनगर तहसील अंतर्गत 317.869 हेक्टेयर क्षेत्र के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बावत् श्री एम. एल. धृतलहरे, अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, सूरजपुर की अध्यक्षता एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर की उपस्थिति में दिनांक 28/02/2014 को स्थान– प्राथमिक षाला ग्राम–जनार्दनपुर, पंचायत षिवनगर, तह.–प्रेमनगर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) में प्रातः 11:30 बजे लोक सुनवाई प्रारम्भ हुई ।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अंबिकापुर द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के द्वारा तहसील उदयपुर, प्रेमनगर, जिला–सरगुजा एवं सूरजपुर में प्रस्तावित ओपन कास्ट केप्टिव कोल माईन क्षमता–05 एमटीपीए, माईनिंग लीज एरिया–1252.447 हेक्टेयर में से सूरजपुर जिले के प्रेमनगर तहसील अंतर्गत 317.869 हेक्टेयर क्षेत्र के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ज्व्ह पत्र क्र. श्र.11015६398६2012. प्।प् प्प ;ड्ढ दिनांक 14/05/2013 के परिपालन में उद्योग द्वारा ड्राफ्ट ई.आई.ए. तैयार कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई कराने के सम्बंध में मण्डल मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर में 16 जनवरी 2014 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। मण्डल मुख्यालय रायपुर द्वारा दिनांक 25/01/2014 को उद्योग की लोकसुनवाई कराने हेतु निर्देष दिये गये। कलेक्टर महोदय सूरजपुर द्वारा दिनांक 28/01/2014 को उद्योग की लोकसुनवाई की तिथि दिनांक 28/02/2014 नियत की गई। तद्नुसार भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित एन्वायरमेंट इम्पेक्ट असिसमेंट अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के परिपालन में दिनांक 29 जनवरी 2014 को इण्डियन एक्सप्रेस एवं द हितवाद के राष्ट्रीय संस्करण तथा दैनिक भास्कर, नई दुनिया, अंबिकावाणी समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व लोकसुनवाई की सूचना प्रकाषित कराई गयी। प्रस्तावित ओपन कास्ट केप्टिव कोल माईन हेतु पर्यावरणीय समाघात आंकलन प्रतिवेदन एवं कार्यपालिक सार की प्रतियां अवलोकनार्थ कार्यालय कलेक्टर सूरजपुर, जिला पंचायत कार्यालय सरगुजा, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सूरजपुर, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) प्रेमनगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़, पर्यावरण संरक्षण मंडल अंबिकापुर, ग्राम पंचायत कार्यालय तारा एवं षिवनगर तह.–प्रेमनगर, डायरेक्टर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम क्षेत्र), लिंक रोड नं. 3, ई–5 रविशंकर नगर, भोपाल (म.प्र.), मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, कबीर नगर व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, कबीर नगर, रायपुर में रखी गई थी। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि लोक सुनवाई हेतु सर्वसम्बंधितों को सूचना प्रकाषन तिथि से दिनांक 27.02.2014 तक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अंबिकापुर में लिखित में 01 सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी प्राप्त हुई। अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा

लोक सुनवाई में उपस्थित जन सामान्य के समक्ष परियोजना प्रस्तावक को जानकारी/ प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया गया, इसके पश्चात् परियोजना प्रस्तावक श्री आर. के. श्रीवास, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के द्वारा तहसील उदयपुर, प्रेमनगर, जिला–सरगुजा एवं सूरजपुर में प्रस्तावित ओपन कास्ट केप्टिव कोल माईन के परियोजना की जानकारी एवं विम्टा लैब हैदराबाद के प्रतिनिधि द्वारा पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट (ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट) के संक्षिप्त सार प्रस्तुत किया गया। तत्पष्चात् अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से प्रस्तावित माईन के सम्बंध में अपने सुझाव/विचार/ टीका–टिप्पणी व्यक्त करने हेतु आग्रह किया गया।

लोक सुनवाई में मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई हैं।

01 **श्री आलोक षुक्ला, रायपुर** – आज जो जनसुनवाई आयोजित की गई है इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। परियोजना प्रबंधन की ओर से प्रस्तुत ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट में टी.ओ. आर. का पालन नहीं किया गया है, इस स्थिति में लोकसुनवाई निरस्त की जानी चाहिए। ई.आई.ए. अनुसार लोकसुनवाई खुली खदान हेतु आयोजित की गई है। खुली खदान हेतु 1252.447 हेक्टेयर भूमि की आवष्यकता होगी जिसमें से 70 प्रतिषत संरक्षित वन क्षेत्र होने के कारण वनो पर आधारित जन जीवन प्रभावित होगा। प्रस्तावित क्षेत्र 5वीं अनुसूची के तहत् आता है जिसके लिए ग्रामसभा की अनुमति आवष्यक है। क्षेत्र के लोगों के अजीविका का साधन वनोपज है जिसमें लगभग 22 प्रकार की फसले प्राप्त होती हैं। जंगल कटने से लोगों का अस्तित्व खतम हो जायेगा, खदान खुलने से दुर्घटनायें बढ़ेंगी। प्रबंधन ओपन कास्ट माईनिंग किस प्रकार करेगा, जानकारी दें ई.आई.ए. टी.ओ. आर. के अनुरूप नहीं है, जनसुनवाई निरस्त करे।

02 **श्री रामदृष्य सिंह** – जनसुनवाई का समर्थन करता हूं।

03 **श्री इन्द्रजीत यादव** – जनसुनवाई का समर्थन करते है, क्योंकि विनाश के साथ विकास जुड़ा हुआ है। क्षेत्र में अदानी के आने से लोगों को मूलभूत आवश्यकतों की पूर्ति–स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार का विकास हुआ है। वर्तमान में संचालित अदानी खदान द्वारा लोगों की सभी सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। बाहरी लोगों को ग्रामीणों की कोई चिंता नहीं थी। आज बाहरी लोग आकर हमारे क्षेत्र में दखल न करें। हम कोरबा और रायगढ़ जैसा विकास चाहते है। यहां के 85 प्रतिशत वृक्षों को कम्पनी द्वारा फिर से लगाया गया है जिसका सत्यापन किया जा सकता है। बिजली, पेयजल की उपलब्धता कम्पनी द्वारा किया गया है, मैं समर्थन करता हूं।

04 **श्री नागेश्वर प्रसाद यादव, ग्राम–घाटबर्रा** – क्षेत्र का विकास हो रहा है, कम्पनी ने विकास किया है, लोगों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है, कम्पनी द्वारा लोगों की मूलभूत आवष्यकताओं की पूर्ति की जा रही है।

05 **श्रीमती चंपा सिंह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्राम जनार्दनपुर** – स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी देंगें तो समर्थन करते हैं।

06 **श्रीमती जुगेष्वरी, आंगनबाड़ी कार्यता, ग्राम जनार्दनपुर** – समर्थन करती हैं

07 **श्रीमती बसंती दीवान, ग्राम मोरगा** – खदान खुलने से जल स्त्रोत नीचे जावेगा। पानी सूख जायेगा। जंगल कटने से प्रदूषण होगा, बीमारियां बढ़ेगी, आज चोटिया की स्थिति गंभीर है, यहां पर भी जल, वायु प्रदूषण होगा, सांस नहीं ले पायेंगे, विरोध करती हूं।

08 **श्री घनश्याम प्रसाद यादव, ग्राम घाटबर्रा** – पर्यावरण के अन्तर्गत, जल, जंगल और जमीन ही प्रभावित होती है। आज जब चोटिया में जल स्तर गिरा है तो शासन ने बांध बनवा दिया है, शासन जो व्यवस्था करती है तो उसकी क्षतिपूर्ति हेतु पहले से व्यवस्था करती है, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहां हैण्डपंप और ट्यूबवेल की व्यवस्था अदानी द्वारा की गयी है, आई.टी.आई. भी अदानी ने खोला है, यदि कम्पनी नहीं

तो यहां के लोगों की सुविधाओं का कौन ध्यान देगा, खनन से प्राप्त आय का व्यय शासन द्वारा स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों में किया जाता है। यह लोकसुनवाई शासन की परियोजना की है, जिसका समर्थन करते हैं।

09 **श्री उमेश्वर सिंह, सरपंच, ग्रामपंचायत मदनपुर, जिला–कोरबा** – इस क्षेत्र की दुर्गति है जो जनसुनवाई हो रही है, सरगुजा क्षेत्र भी 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है। क्या यहां के लोगों को सामुदायिक दावा पत्र मिला है यदि नहीं मिला है तो जनसुनवाई क्यों हो रही है, इसे निरस्त किया जावे, इसमें किसी भी कानून का खिलवाड़ न किया जाये। कोयला खदान लोगों को गुलामी में ढकेलने के लिए खोला जा रहा है। यहां के लोग छः माह जंगल से और छः माह मजदूरी कर जीवन यापन करते है। खदान खुलने से जंगल खत्म होंगे जो कि भारत की आत्मा है। चोटिया में पौधा रोपण किया गया है वह भी किसी के उपयोग में नहीं आ रहे है, हमारे पशुधन तो जंगल के चारा पर निर्भर हैं, क्या मषीन से लगाये जंगल पशु खायेंगे ? चार–पांच हजार रूपये की नौकरी तो कोई भी दे सकता है, हम गुलामी की जिंदगी नहीं चाहते। हम इस पर्यावरणीय जन सुनवाई का विरोध/बहिष्कार करते हैं, कोई भी महिला खदान नहीं चाहती, हम लोग गुलामी नहीं चाहते, फतेहपुर, साल्ही, घाटबर्रा की महिलाओं ने बहिष्कार के लिये बताया है।

10 **श्रीमती मीना सिंह, मितानिन, ग्राम जनार्दनपुर** – हम वर्षों से गांव में रह रहे हैं इस परियोजना से मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी तो हम समर्थन करते हैं।

11 **श्री कृष्ण चंद यादव, ग्राम घाटबर्रा –** हमारे क्षेत्र में अदानी खदान खुलने से पहले यहां के लोग कोरबा, रायपुर कमाने जाते थे और अदानी खुलने से प्रभावित क्षेत्र के बच्चे इंग्लिष मीडियम में निःषुल्क पढ़ रहें हैं, यदि हम बाहर पढ़ाने जाये तो हजार रूपये महीना लगता है, समर्थन करते हैं।

12 **श्रीमती अनीता, ग्राम मोरगा, जिला कोरबा**– यह पूरा क्षेत्र जंगलो से घिरा है, इस लोकसुनवाई का विरोध करती हूं, जंगल कटने से जल स्तर नीचे चला जायेगा, भोले–भाले गांव वाले यह नहीं जानते कि जमीन रहने से हम पीढ़ी दर पीढ़ी खा कमा सकते हैं। कम्पनी हमारा शोषण करने आ रही है इसे जानना होगा।

13 **श्री जयनन्दन सिंह पोर्ते, ग्राम घाटबर्रा**– जन सुनवाई का पुरजोर विरोध करता हूं। खदान खुलने से परसा केंते के लिये अपनी जमीन बेचकर लोग पुनः जमीन नहीं खरीद पाये। पर्यावरणीय जन सुनवाई हो रही है, ई.आई.ए. रिपोर्ट अंग्रेजी में है, क्षेत्रीय भाषा में ई.आई.ए. रिपोर्ट होती तो लोग विरोध कर पाते, खदान आने से लोग विस्थापित होंगे, यह क्षेत्र 5वी. अनुसूची के अन्तर्गत आता है। जन सुनवाई में नियमो का पालन नहीं हो रहा है। वन अधिकार नियमों के अनुसार विस्थापन पूर्ण होने से पहले खदान नहीं खुल सकती। लोग तो विस्थापित होंगे, जन सुनवाई पर्यावरण से सम्बंधित है जिसमें मानवीय अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। छत्तीसगढ़ षासन के नियमों का पालन किया जाता तो यह जन सुनवाई होती ही नहीं, इसे निरस्त करें। इस जंगल को पूर्व केन्द्रीय मंत्री द्वारा **नो गो एरिया** घोषित किया है। जंगल कटने से जंगली वन औषधी हमेषा के लिये नष्ट हो जायेंगी। जंगल काटने वालों पर कार्यवाही होगी कि नहीं, पेड़ कटने से आसपास के लोग प्रभावित होंगे, खदान खुलने नहीं देंगे।

14 **श्री तुलसी यादव, प्रेमनगर** – यदि हम इस परियोजना का विरोध करते हैं तो एक ही लाईन में विरोध करें या समर्थन करें। लोकसभा या राज्य सभा सबसे पहले ग्रामसभा आज से लगभग 04–05 साल पहले हम यही नारा लगाते आये हैं और जमीन का पैसा प्राप्त किया, आज फिर इसी मंच पर आ गये। जिस प्रकार साल्ही, परसा, केंते में खदान खुली,

जहां विकास होता है तो विनाष भी होता है, क्या इस परियोजना में कटने वाले पेड़ों की जाति और संख्या का आंकलन किया है ? प्रेमनगर विकासखण्ड में एक आई.टी.आई. खोला गया है, हमने मांग की थी प्रभावित क्षेत्र के नौजवान को प्रेमनगर के आई.टी.आई. में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार मालिकाना हक भूस्वामी का होना चाहिए। एक खाते में एक से अधिक खातेदार हैं तो कितने लोगों को नौकरी मिलेगी प्रभावितों को क्या मिलेगा, इसकी जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए, प्रभावितों के साथ छलावा हुआ तो मैं इनको नहीं छोडूंगा, हम विकास के विरोधी नहीं है किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए।

15 **श्री राकेष सिंह महासचिव युवक कांग्रेस अंबिकापुर–** मुझे यहां पर किसी के लोक लुभावन वायदे से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मतलब है केवल यहां के विकास से, यहां के लोगों की भूमि ली जाती है तो मुआवजा बाहरी लोगों को प्राप्त होता है। मैं यहां के लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बाहरी लोग भू स्वामी बनकर मुआवजा प्राप्त करते हैं। भू स्वामी एवं प्रभावितों को योग्यता अनुसार काम दिया जाय। स्थानीय लोग बड़े–बड़े चिकित्सालयों से जुड़े हैं तो यह कारण है यहां कि परियोजना का, स्थानीय लोगों के सुझाव को प्राथमिकता से लें।

16 **श्री गुलाब सिंह ग्राम मोरगा, जिला कोरबा–** मैं कोयला खदान का विरोध करता हूं, कुल खनन क्षेत्र 1252.447 हेक्ट. में से अधिकतम क्षेत्र संरक्षित वन एवं कृषि भूमि का है। खदान से जल, जंगल और जमीन प्रभावित होगी, यहां के आदिवासी भी प्रभावित होंगे। लोग विस्थापित होंगे, अन्य स्थानों पर भी कोयला खदान खुलने से लोग प्रभावित होते हैं। कम्पनी लोगों को प्रलोभन देती है, खदान न खोला जाय, पशुधन को चारा नहीं मिलेगा मैं खुद एक विस्थापित हूं मुझे सिंगरौली, खोंगापानी और मोरगा से विस्थापित होना पड़ रहा है।

17 **श्रीमती लीना केरकेट्टा, ग्राम मोरगा –** हम विरोध करने आये हैं जल, जंगल, जमीन पर हमारा अधिकार है, जन सुनवाई रद्द करो।

18 **श्री मंगल कुमार पोर्ते, ग्राम फतेहपुर –** गांव वाले चिल्लाते हैं तो पुलिस क्यों नहीं आती हम लोग षासन हैं, मुख्यमंत्री हम बनाये हैं, खदान हटाया जाय।

19 **श्रीमती रामजानकारी, ग्राम घाटबर्रा–** हम अपनी जमीन को नहीं देना चाहते, ,खदान को हटाना, जमीन जंगल को बचाना है, हम जड़ी–बूटी खातें है और उसका विकास करते हैं।

20 **श्री सुरेष दास, ग्राम तारा –** प्रभावितों को मुआवजा, मूलभूत सुविधाएं और पुर्नवास षासन के नियमानुसार दिया जाय, बिजली, पानी, सड़क का तत्काल प्रबंध किया जाय, क्योंकि हम प्रभावित हो चुके हैं, कम्पनी का तारा ब्लाक के लोग समर्थन करते हैं।

21 **श्री अमरेष प्रताप मरकाम, ग्राम घाटबर्रा –** जनार्दनपुर के लोग कार्यकर्ता कम्पनी के समर्थन में हैं, मैं चाहता हूं कि समुचित विकास किया जाय, केंते वालों को चिन्हांकित किया जाय, उनके भी आवास नल, जल की व्यवस्था की जाय, अच्छी स्कूल कॉलेज खोला जाय, जिन्हें नौकरी दिया गया है, उन्हें भी बाहर से आने वाले लोगों के समान वेतन सुविधा दी जाय, मैं समर्थन करता हूं।

22 **श्रीमती इरमिना ग्राम मोरगा –** हम चाहते हैं कि खदान बंद करो, खदान खुलने से हम बेरोजगार हो जायेंगे, हम खदान नहीं खुलने देंगे, जमीन नहीं देंगे। इस जंगल से हम वनोपज प्राप्त कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, खदान खुलने से हम अपना जीवन नहीं जी सकते, सब प्रकार का नुकसान होगा, जंगलों को बचाकर रखेंगे। खदान नहीं खोलने देंगे। जान जाये तो जाये जल, जंगल एवं जमीन नहीं देंगे।

23 **श्रीमती सुकवारो ग्राम घाटबर्रा –** जंगल से हम तेंदु, महुआ प्राप्त कर अपना जीवन चलाते हैं, वनोपज से हम कमा कर खाते हैं, अदानी को जमीन नहीं देंगे, विरोध करते हैं।

24 **श्रीमती कौषल्या, ग्राम–घाटबर्रा –** हम रूपया पैसा नहीं खाते, जमीन से हमारा गुजारा होता है, हम विरोध करते है, जमीन नहीं देंगे।

25 **श्री मोहर सिंह, ग्राम हरदी देवरी –** जमीन नही देंगे, विरोध करते हैं।

26 **श्रीमती रझिया बाई, ग्राम–साल्ही –** हम खाना खाते हैं, जमीन होगी तो सब खायेंगे, रूपया पैसा नहीं खाते। खदान खुलने से, पानी काला होने से जानवर तक पानी नही पीते, हम खरीद कर खाना नहीं खाना चाहते, जंगल में जो होता है, उसे खायेंगे।

27 **श्री राणा प्रताप सिंह, समाजसेवी संस्था–** यहां पर हम पर्यावरणीय जन सुनवाई के लिये आये हैं लेकिन लोग यहां पर अपनी जमीन देंगे या नहीं इस पर चर्चा कर रहे है, यहां की बहिने जान देने की बात करती हैं, तो जान देने के बाद जमीन का क्या होगा, लोगों को यह तो सोचना चाहिए, या कहना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी या बच्चों का विकास होना चाहिए। हमारी मांग यह होनी चाहिए कि विकास, हमारी षर्तों पर होना चाहिए, ग्रामसभा ग्रामीण विकास की योजना बनाकर विकास की षर्तों पर विकास करने हेतु अपना विरोध दर्ज कराया जा सकता है, पूरे समाज और देष को मूलभूत की आवष्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। मिल बैठकर विचार कर अपनी षर्तों को मनवाने का प्रयास होना चाहिए, और षासन के नियमों का हवाला देकर अपनी मांग मनवानी चाहिए। विकास के मुद्दे पर मैं समर्थन करता हूं।

28 **श्रीमती जतिन बाई, ग्राम मोरगा –** आदिवासी जंगल पर ही आश्रित हैं, क्या खदान खुलने से ही बिजली मिलेगी, खदान नहीं खुलने देना है।

29 **श्री दिनेष कुमार यादव, ग्राम घाटबर्रा–** जनार्दनपुर के लोगों की बात प्राथमिकता से सुनी जाये, बाहरी लोगों के द्वारा बाद में अपने विचार रखे जायें, विरोध करना ही मकसद नहीं होना चाहिए।

30 **श्री रामनरेष, ग्राम जनार्दनपुर –** समर्थन करता हूं।

31 **श्री आत्माराम, ग्राम घाटबर्रा –** समर्थन करता हूं, कम्पनी के आने से कोई तकलीफ नहीं है।

32 **श्रीमती मंगली बाई, ग्राम साल्ही –** हम जंगल पर आश्रित है, जंगल से ही कमाते हैं, जमीन नहीं देंगे।

33 **श्रीमती उर्मिला, ग्राम साल्ही –** हम जंगल पर आश्रित है, जंगल से ही कमाते–खाते हैं, जमीन नहीं देंगे।

34 **श्री नारायण प्रसाद यादव, अधिवक्ता, ग्राम घाटबर्रा** –पर्यावरण पर प्रभाव बहुत दूर–दूर तक जाता है, सभी लोग प्रभावित होते हैं।

35 **श्री कृष्णा, ग्राम मोरगा** – हमारा मोरगा भी प्रभावित है, इसलिए हम लोग विरोध करने आये हैं, यदि यहां खदान खुलेगी तो हम भी प्रभावित होंगे, वनोपज से अपना जीवन यापन करते हैं और उसका पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ मिलता है, खदान नहीं खुलना चाहिए।

36 **श्री रामकुमार ग्राम परोलिया** – समर्थन करता हूं।

37 **श्री तेजराम, ग्राम साल्ही** – विकास नहीं विनाष होगा, इस धरती को हम नहीं बेचेंगे।

38 **श्री मोहम्मद षकील ग्राम तारा**– मैं समर्थन करता हूं विकास चाहिए तो पर्यावरण प्रभावित होगा।

39 **श्री कमलेष कुमार यादव, ग्राम घाटबर्रा** – समर्थन करता हूं, सुविधा हमको मिल रही है।

40 **श्रीमती षांति, ग्राम घाटबर्रा** – विरोध करती हूं, जंगल पर आश्रित हैं।

41 **श्रीमती गनेषिया, ग्राम साल्ही** – विरोध करती हूं, जंगल पर आश्रित हूं ।

42 **श्री मंगल पाण्डे, छत्तीसगढ़ विकास मंच** – पर्यावरण का मुद्दा केवल स्थानीय नहीं बल्कि विष्व का है, हमें यह सोचना होगा कि इसे किस प्रकार बचाया जाय, विकास होगा तो जंगल जरूर कटेगा, जमीन जायेगी। हमें यह सोचना होगा कि हमारे उपलब्ध संसाधनो पर ही विकास होगा, हमारा सोचना यह होगा कि कम्पनी लगाने के साथ कैसे पर्यावरण का संरक्षण हो, वन औषधी संरक्षित रहें। मांग होनी चाहिए कि कम्पनी के पैसों का अधिकतम उपयोग षासन की योजनाओं के साथ स्थानीय प्राथमिकताओं को भी पूरा किया जाय, विकास का विरोध नहीं है।

43 **श्रीमती किरमिट, ग्राम घाटबर्रा** – मेरे नाती पोते नहीं हैं मैं कहां जाऊं ।

44 **श्रीमती निर्मला सिंह, ग्राम घाटबर्रा** – एक पेड़ कटने से कितनी हानि होगी, इसकी जानकारी होनी चाहिए, एक पेड़ से 22 लाख का फायदा मिलता है, पर्यावरण को बनाये रखने का निवेदन है, पेड़ कटने से कार्बन डाईआक्साईड मिलेगा, एक व्यक्ति को पांच पेड़ लगाना चाहिए।

45 **श्रीमती सोनामनी, ग्राम मोरगा** – क्या मोरगा प्रभावित नहीं हो सकता, पूरा देष प्रभावित होता है, जब खदान खुलेगी, तो बड़े–बड़े गड्ढे होंगे, पेड़ कटेंगे, फसल नहीं उगा पायेंगे, जमीन है तो सब कुछ, जमीन है तो जीवन है, विरोध करते हैं।

46 **रिंनचिन, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, रायपुर** – ई.आई.ए. तैयार करने में नियमों का पालन नहीं किया गया है, आसपास के लोगों को ई.आई.ए. की हिन्दी कापी नहीं दी गई है, जन सुनवाई अवैध है, ई.आई.ए. के अनुसार कोयला निम्न गुणवत्ता का है, इसे निकालने के लिए बहुमूल्य वनो का विनाष करना होगा, नदियों पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी नहीं दी गई है, ई.आई.ए. में जंगली जानवरों की जानकारी नहीं बताई गयी है। जबकि संलग्नक में 10 कि.मी. क्षेत्र में हाथियों का गलियारा बताया गया है। ई.आई.ए. के अनुसार कोयला मर्करीयुक्त होगा, अम्लीय वर्षा की रोकथाम हेतु जानकारी नहीं दी गई है।

47 **श्री बुद्धमान सिंह, ग्राम साल्ही** – जंगल कटने से पर्यावरण प्रभावित होगा, खनन के बाद जमीन की कोई उपयोगिता नहीं रहेगी, जमीन हमारी माता है, हम इसका सौदा नहीं कर सकते, जंगल पर आधारित जीवन बना रहे, हम प्रलोभन में नहीं फंसना चाहते।

48 **श्री अमृत, ग्राम घाटबर्रा** – मेरा हिस्सा दिलाया जाये, हम विरोधी नही हैं।

49 **श्रीमती चंपा सिंह, ग्राम जनार्दनपुर** – सभी महिलाएं समर्थन करती हैं।

50 **महिला, ग्राम घाटबर्रा** – विरोध करती हूं ।

51 **महिला, ग्राम साल्ही** – विरोध करती हूं।

52 **श्रीमती षांति, ग्राम घाटबर्रा** – विरोध करती हूं।

53 **श्री विष्वनाथ, ग्राम जनार्दनपुर** – समर्थन करता हूं।

54 **श्री काषीराम, ग्राम केंते**– हम 13–14 महीने से काम कर रहे हैं, अदानी से सारी सुविधा मिलती है, बंजर जमीन का 08 लाख रूपया मुआवजा मिलता है, समर्थन करता हूं।

55 **श्री गौरव, उदयपुर** – मुद्दा पर्यावरण का है, हम युवाओं के लिए बेरोजगारी मुद्दा है, आषा है कम्पनी रोजगार देगी।

56 **श्रीमती देवी सिंह, ग्राम साल्ही** – जंगल नहीं देंगे, खदान नहीं खुलने देंगे, जंगल कटने नहीं देंगे।

57 **श्री धनुषधारी यादव** – अदानी से जमीन का नाष हो रहा है।

58 **श्रीमती रमा बाई** – खदान को नहीं चाहते।

59 **श्रीमती सोलकलिया, ग्राम साल्ही** – खदान नहीं चाहती ।

60 **श्री टिकेष्वर यादव, ग्राम साल्ही** – डॉ. हर सप्ताह आता है, समर्थन करता हूं।

61 **श्री दिलेष्वर सिंह मरकाम, ग्राम घाटबर्रा** – एक पेड़ कटने पर कम से कम पांच पेड़ लगाना चाहिए, केजी एक से बारह तक स्कूल होना चाहिए, लोगों को परेषानी नहीं होनी चाहिए।

62 **श्रीमती ठकुराईन, ग्राम साल्ही** – विरोध करती हूं।

63 **श्रीमती इंजोरिया, ग्राम साल्ही** – जंगल नहीं देंगे।

64 **श्री हेम कुंवर साहू, ग्राम साल्ही** – कम्पनी एक फसल देगा, जमीन जीवन भर फसल देगा।

65 **श्रीमती बसंती, ग्राम मोरगा, जिला–कोरबा** – प्रदूषण मोरगा तक पहुंचेगा, हमें जमीन नहीं देना चाहिए, पैसा कितने दिन तक काम देगा, गुलामी नहीं करना, विरोध करती हूं।

66 **श्रीमती अनुपमा, ग्राम मोरगा** – विरोध करती हूं।

67 **श्री रामचरण, ग्राम केंते** – अदानी के सी.एस.आर. में काम करता हूं, कम्पनी के आने से मुझे तो सुविधा मिली है, जिसको अपनी जमीन बेचना है, बेच सकता है।

68 **श्री कृष्णा यादव ग्राम देवपुर**– अदानी के आने से बेरोजगार हटेगी, हम समर्थन करते हैं।

69 **श्री अर्जुन दास** – क्षेत्र में पेषा कानून लागू किया गया है, पेड़ कटने से कितने लोगों का फायदा होगा, एक पेड़ काटते हैं तो कार्यवाही होती है, किंतु षासन द्वारा पेड़ काटा जाता है तो कार्यवाही क्यों नहीं होती। कम्पनी द्वारा निचले स्तर की नौकरी दी जाती है, पुर्नवास की उचित व्यवस्था की जावे, हर व्यक्ति को मकान, रोजगार एवं जीने का अवसर दिया जाय।

70 **श्रीमती पुनीता, ग्राम साल्ही** – जगह जमीन नहीं देंगे, जंगल झाड़ी बचाना है।

71 **श्रीमती सहोदरी बाई, ग्राम साल्ही** – समर्थन करती हूं।

72 **श्रीमती ष्याम बाई, ग्राम साल्ही** – समर्थन करती हूं।

73 **श्री जोगेष्वर पाण्डे, ग्राम घाटबर्रा** – प्रभावितों को नियमानुसार मुआवजा, विस्थापन एवं रोजगार उपलब्ध कराया जाय, उद्योग खुलने से विकास तो होगा।

74 **श्री कमलराम, ग्राम परोगिया** – नौकरी चाहिए, समर्थन करता हूं।

75 **श्री मूर्ति प्रसाद पोर्ते, ग्राम साल्ही** – जनार्दनपुर के लोग यदि अपना जमीन देना चाहते हैं, तो कोई रोकेगा नहीं, जो नहीं देना चाहते हैं तो कोई ले नहीं सकता।

76 **श्री अमरदेव यादव, ग्राम परसा**– समर्थन करता हूं।

77 **श्री नवल साय, ग्राम परसा** – खुली खदान से घना जंगल नष्ट हो जायेगा, जिससे हजारों प्रजाति के वृक्ष, वन्य जीव नष्ट हो जायेंगे, पर्यावरण प्रभावित होगा, विरोध करता हूं। आदिवासी संस्कृति नष्ट हो जायेगी।

78 **श्रीमती फुलेष्वरी, ग्राम घाटबर्रा** – कॉलरी नहीं चाहती ।

79 **श्रीमती मायावती, घाटबर्रा** – खदान नहीं चाहती ।

80 **श्रीमती सोनिया यादव, ग्राम मोरगा** – अदानी कम्पनी खुला कोई सहारा नहीं ।

81 **महिला, फतेहपुर** – कॉलरी नहीं चाहती ।

82 **श्रीमती सुकवारी, ग्राम घाटबर्रा** – कॉलरी नहीं चाहती ।

83 **श्रीमती फुलवसिया, ग्राम घाटबर्रा** – कॉलरी नहीं चाहती ।

84 **श्री तुलसी, ग्राम फतेहपुर** – विरोध करता हूं।

85 **श्री अमरेष सिंह, ग्राम फतेहपुर** – विरोध करते हैं।

86 **श्री जमना पटेल, ग्राम घाटबर्रा** – समर्थन करता हूं।

87 **श्रीमती दिलवसिया, ग्राम फतेहपुर** – विरोध करती हूं।

88 **श्रीमती लक्षमनिया, ग्राम फतेहपुर** – विरोध करती हूं ।

89 **श्रीमती रामेष्वरी, ग्राम घाटबर्रा** – विरोध करती हूं।

90 **श्री सहन सिंह, ग्राम साल्ही** – खदान नही चाहता हूं, विस्थापन करने पर हमारे लिये पर्याप्त कृषि भूमि उपलब्ध नहीं कराई गयी, हमें जमीन के बदले जमीन चाहिए।

91 **श्रीमती विलसिया, ग्राम घाटबर्रा** – विरोध करती हूं।

92 **श्रीमती निहारो बाई, ग्राम घाटबर्रा** – विरोध करती हूं।

93 **पुरूष, ग्राम फतेहपुर** – विरोध करता हूं।

94 **श्रीमती मानमति, फतेहपुर** – विरोध करती हूं।

95 **श्री प्रीतम राम, ग्राम घाटबर्रा** – नौकरी चाहिए ।

96 **श्रीमती पार्वती, ग्राम साल्ही** – विरोध करती हूं।

97 **श्री दीनदयाल, ग्राम घाटबर्रा** – समर्थन करता हूं।

98 **श्रीमती सियारो बाई, ग्राम घाटबर्रा** – विरोध करती हूं।

99 **श्री दिनेष कुमार यादव, ग्राम परसा** – खदान खुलने के बाद से यहां का जीवन और लोगों का जीव नस्तर, सुविधाओं में वृद्धि हुई है, और लोगों को षिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, मैं समर्थन करता हूं।

100 **श्रीमती देवन्ती विष्वकर्मा, ग्राम हरिहरपुर** – गांव की गरीबी दूर करें, रोजगार और अस्पताल दिया जाये, समर्थन करती हूं।

101 **श्रीमती कैलासो बाई, ग्राम फतेहपुर** – विरोध करती हूं।

102 **श्री उजियार सिंह, ग्राम मदनपुर** – विकास की बात की जा रही है, जल, जंगल, जमीन स्थाई है, पैसा बहुत जल्द ही खत्म हो जायेगा, विकास गांव के हिसाब से किया जाये। विरोध करता हूं।

103 **श्रीमती सोनकुंवर, ग्राम फतेहपुर** – विरोध करती हूं।

104 **श्रीमती सनमनिया, ग्राम साल्ही** – विरोध करती हूं।

105 **श्रीमती चंदमति, ग्राम फतेहपुर** – विरोध करती हूं।

106 **श्रीमती फूलकुंवर, ग्राम फतेहपुर** – विरोध करती हूं।

107 **श्रीमती सावित्री, ग्राम फतेहपुर** – विरोध करती हूं।

108 **श्रीमती मानमति, ग्राम फतेहपुर** – विरोध करती हूं।

109 **श्रीमती संतरा, ग्राम फतेहपुर** – विरोध करती हूं।

110 **श्रीमती रामरति, ग्राम फतेहपुर** – विरोध करती हूं।

111 **श्री मुडरीवाल, ग्राम साल्ही** – विरोध करता हूं।

112 **श्री षिवराम, ग्राम गुमगा** – समर्थन करता हूं।

113 **श्री जीवन, ग्राम फतेहपुर** – विरोध करता हूं।

114 **श्री बुद्धु यादव, ग्राम साल्ही** – विरोध करता हूं।

115 **श्री मदन साय, ग्राम साल्ही** – विरोध करता हूं।

116 **श्री रामदास पाण्डे, ग्राम साल्ही** – विकास होना चाहिए।

117 **श्री विखु, ग्राम फतेहपुर** – विरोध करता हूं।

118 **श्री दोलराम, ग्राम फतेहपुर** – विरोध करता हूं।

119 **श्रीमती बसंती, ग्राम फतेहपुर** – विरोध करती हूं।

120 **पुरूष, ग्राम साल्ही** – विरोध करता हूं।

121 **श्री धरम सिंह, ग्राम षिवनगर**– समर्थन करता हूं।

122 **श्री धुरवा, ग्राम साल्ही**– विरोध करता हूं।

123 **श्रीमती कुंवर बाई, ग्राम साल्ही** – विरोध करती हूं।

124 **श्रीमती उर्मिला, ग्राम बासन** – विरोध करती हूं।

125 **श्रीमती मानकुंवर, ग्राम फतेहपुर** – विरोध करती हूं।

126 **महिला, ग्राम फतेहपुर** – विरोध करती हूं।

127 **श्रीमती रामबाई, ग्राम फतेहपुर** – विरोध करती हूं।

128 **श्री जेठू राम, ग्राम मोरगा, जिला–कोरबा** – लोग अपना–अपना समर्थन–विरोध कर रहे हैं, लोग पर्यावरण को नष्ट कर रहें, जंगल काट रहे हैं।

129 **श्रीमती जेती बाई, ग्राम मोरगा, जिला–कोरबा–** मेरा गांव पास में है, अपनी जमीन नहीं देना चाहती, जमीन में ही अगली पीढ़ी का भविष्य है।

130 **महिला, ग्राम मोरगा, जिला–कोरबा**– मैं वनोपज पर जीती हूं, जमीन नहीं देंगे।

131 **श्री देव सिंह पोर्ते, ग्राम फतेहपुर**– कोयला खदान का समर्थन करता हूं, हमें वन अधिकार पत्र चाहिए, बड़े खातों का विभाजन होना चाहिए, बच्चों के लिये परिवहन होना चाहिए, पुर्नवास की व्यवस्था अदानी द्वारा पूरी नहीं की है, प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को योग्यता अनुसार काम दिया जाय, उचित व्यवस्था नहीं होने पर विरोध करता हूं।

132 **श्रीमती सुलोचना, ग्राम मोरगा, जिला–कोरबा**– विरोध करती हूं।

133 **श्रीमती पुष्प बाई, ग्राम मोरगा, जिला–कोरबा**– विरोध करती हूं।

134 **श्रीमती पंचकुला, ग्राम मोरगा, जिला–कोरबा**– विरोध करती हूं।

135 **श्रीमती इन्दमनी, ग्राम मोरगा, जिला–कोरबा**– विरोध करती हूं।

136 **पुरूष –** क्षेत्र में विकास का कार्य हो रहा है, आसपास के 20 गांवों के लोगों को आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ है, षासन से प्राप्त मुआवजा के आधार पर अन्य स्थान पर भूमि क्रय कर सकते हैं।

137 **श्री अखिलेष महाराज** – आदिवासी परिवार से अर्जित भूमि की व्यवस्था कराने षासन स्तर से व्यवस्था की जाये, विस्थापित परिवारों के सदस्यों को रोजगार का उचित अवसर/वेतन नहीं दिया जा रहा है, समर्थन करता हूं।

138 **श्री राजनाथ सिंह** – समर्थन करता हूं।

139 **महिला, ग्राम बासन** – विरोध करती हूं।

140 **श्री उदय राम, ग्राम साल्ही** – विरोध करता हूं।

141 **श्री रामलाल सिंह, ग्राम साल्ही** – विरोध करता हूं।

142 **पुरूष, ग्राम महोरा** – विरोध करता हूं।

143 **पुरूष, ग्राम महोरा** – विरोध करता हूं।

144 **पुरूष, ग्राम महोरा** – हम धान से कमाते हैं, जमीन नहीं देंगे।

145 **पुरूष, ग्राम महोरा** – जमीन नहीं देंगे।

146 **श्री जमना प्रसाद पटेल, ग्राम घाटबर्रा** – समर्थन करता हूं।

147 **श्री प्रीतम, ग्राम घाटबर्रा** – समर्थन करता हूं।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अपर कलेटर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अनेक बार अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब अपरान्ह लगभग 03:00 बजे अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों एवं जिज्ञासाओं के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री आर.के. श्रीवास, अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा परियोजना के सम्बंध में लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों एवं जिज्ञासाओं के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया ।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में **183** सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्ति प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान **147** व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई। लोक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अभिव्यक्त सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों आदि को अभिलिखित किया गया, जिन्हें क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जन सामान्य को पढ़कर सुनाया गया। लोक सुनवाई में लगभग **1200** व्यक्ति उपस्थित थे जिनमें से उपस्थिति पत्रक पर कुल **136** व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये। आयोजित लोक सुनवाई के समस्त कार्यवाहियों की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की गई।

अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त दण्डाधिकारी
सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)